न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम

उ० पु० रामसिंह V/S भरत सिंह

5-5-12 वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र 212 R.T.Act के तहत पत्रावली पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रतिवादीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द आगामी तारीख पेशी तक किया जाता है कि वो विवादित ओ खं.नं. 1471 वाके मौजा झाडका तहसील कोटकासिम स्थित के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 1-6-12 को पेश हो

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

1/6/12 वकीलान फरीकेन उपस्थित। बहस T.I. प्रार्थना पत्र सुनी गई वास्ते आदेश पत्रा. 5-6-12 को पेश हो तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

5/6/12 वकीलान फरीकेन उपस्थित। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 6-6-12 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

6/6/12 वकीलान फरीकेन उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राज. काश्त. अधि. व O-39 R-1,2 पठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। पत्रा. नम्बर से कम होकर संलग्न मूलवाद किया जावे।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम अलवर

पीठासीन अधिकारी– पुष्कर राज शर्मा (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या
71 / 2012

दायरदिनांक
04.05.2012

निर्णय दिनांक
06.06.2012

उनवान

1. रामसिंह पुत्र श्री बोदन जाति जाट
   निवासी ग्राम झाडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर
   :– प्रार्थी / वादी

बनाम

1. भरतसिंह पुत्र धनीराम
2. मनोहर पुत्र बोदन
3. विकम पुत्र धनीराम
4. खुशीराम पुत्र बोदन जाति जाटान निवासी ग्राम झाडका
   तहसील कोटकासिम जिला अलवर
5. सहायक अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम
   लिमिटेड शाखा कोटकासिम
6. कनिष्ठ अभियन्ता, जयपुर विधुत वितरण निगम लि0
   शाखा कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर)
   तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:– अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री रामफल यादव – अप्रार्थी / वादी
2. श्री फिरोज खान – अप्रार्थी / प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. टी. ऐ.
आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जा. दी.

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, शपथ पत्र एवंम दस्तावेजो से प्रार्थी को केस प्राइमाफेसाई आयद व साबित होता है। विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है। जिस पर सामलात मे ही काबिज व दखिल होकर काश्त करने चले आ रहे है। राजस्व रिकार्डस मे अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजीयात मे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। अबट आराजीयात है। पक्षकारान के मध्य किसी भी प्रकार का आज तक बटॅवारा (तकासमा) नही हुआ है।

अप्रार्थीगण सं01 लगायत 4 आये रोज प्रार्थी के सामलाती कब्जा काश्त मे महामहत व मदालखत पैदा करते रहते है। अप्रार्थी सं0 1 विवादित आराजी खसरा नं0 1471 मे अप्रार्थी सं0 5 व 6 से साज–बाज होकर अपने नाम से कृषि कनैक्शन लेना चाहता है। जबकि आराजी सामलाती है बटॅवारा नही हुआ है।

दिनांक 01.05.12 को प्रार्थी ने अजखुद अप्रार्थी सं0 1 लागयत 4 से विवादित आराजीयात का तकासमा कर अलग खाता कायम करवाने हेतु कहा तो वे साफ इंकार हो गये। अबट आराजीयात को बेचान करने की धमकियॉ दी व अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकिया दी कि मै विवादित आराजी खसरा नं0 1471 मे अपने नाम से कृषि कनैक्शन अप्रार्थी सं0 5 व 6 से जारी करवाउॅगा। तुम्हे काश्त नही करने दूगा। इससे प्रार्थी को अजहद की हानि होगी इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। जिस पर सामलात मे ही काबिज काश्त है। इसलिये सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी हूॅ।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जावे कि व विवादित आराजीयात हाल खसरा नं0 184/0–04, 218/1–11, 330/1–07, 401/0–14, 507/0–08, 655/1–04, 771/0–08, 1013/0–08 1149/0–10, 1268/0–09, 1310/0–07, 1442/0–16, 1471/1–05, 1590/0–17, 1706/0–11, 95/0–17 बीघा कुल किता 16 कुल रकबा 11–17 बीघा वाके ग्राम झाडका तहसील कोटकासिम को कही दीगर जगह रहन–बैय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही अप्रार्थी सं0 1 विवादित आराजी हाल खसरा नं0 1471 मे कृषि कनैक्शन लेवे, ना ही अप्रार्थी सं0 5 0 6 अप्रार्थी सं0 1 को विवादित आराजी खसरा नं0 1471 मे कृषि कनैक्शन देवे, ना नवीन निर्माण करे, ना जब्रन बेदखल करे, ना कब्जा करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रार्थी व अप्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण सं0 1,2,3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी का केस किसी भी सूरत मे प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 की सामलाती खातेदारी की आराजीयात राजस्व रिकार्डस मे दर्ज है।

विवादित आराजीयात मे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 4 सामलात मे काबिज काश्त नही है। वास्तविकता यह है कि विवादित आराजीयात बाबत पक्षकारान के मध्य आज से करीब 25 वर्ष पूर्व ही बाहमी बटवारा हो रहा है। बाहमी बटवारा से आई हुई आराजीयात पर पक्षकारान काबिज काश्त है। इस बाहमी बटवारा मे विवादित आराजी खसरा नं0 1471 का सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं0 1,3 के हिस्से मे आया हुआ है तथा विवादित आराजी मे 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1,3 का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है और 1/4 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1,3 ने अप्रार्थी सं0 2 को उसके हक हिस्से के रूपये लेकर लिया हुआ है। तथा ख.न. 1471 मे वादी व प्रतिवादी सं0 4 का 1/4 हिस्सा जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 व 3 की बाहमी बटवारे के अनुसार दिया है। जिसकी एवज मे मैने प्रतिवादी सं0 1,3 ने अपने दूसरे खसरा नं0 का 1/4 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 को दिया है तबादले के अनुसार अप्रार्थी सें0 1 ने आराजी खसरा नं0 1471 मे अपने नाम से कृषि कनैक्शन लेना चाह रहा है। जिसके लिये अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2,3,4 से सहमति पत्र लिया हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 विधिसम्मत तरीके से ही आराजी खसरा नं0 1471 मे कृषि कनैक्शन ले रहा है। अप्रार्थी सं0 1 अप्रार्थी सं0 5 व 6 से साज–बाज नही है। आराजीयात का पक्षकारान के मध्य बाहमी बटवारा हो रहा है।

दिनांक 01.05.2012 की समस्त कहानी प्रार्थी ने झूठी, मिथ्या व बनावटी दर्ज है। वास्तविकता यह है कि आराजी विवादित खसरा नं0 1471 बाहमी बटवारा मे अप्रार्थी सं0 1,3 के हिस्से मे सम्पूर्ण भाग आया हुआ है। अप्रार्थी नं0 1471 मे बोरिंग की हुई है। अपने द्वारा की हुई बोरिंग पर ही कृषि कनैक्शन ले रहा हूँ। जिसके लिये प्रार्थी, अप्रार्थी सं0 2,3,4 द्वारा सहमति पत्र लिया हुआ है। विधिसम्मत तरीके से ही कृषि कनैक्शन ले रहा है। विधुत पोल गाडे जा चुके है, तार खीचे जा चुके है। सिर्फ टंकी दी जाकर कृषि कनैक्शन दिया जाना है। परन्तु प्रार्थी ऐसा नही होने देने के उद्देश्य से यह स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र न्यायालय मे समक्ष प्रार्थी ने पेश किया है। ताकि अप्रार्थी सं0 1 का आराजी खसरा नं0 1471 मे कृषि कनैक्शन ना हो सके। प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति नही होती है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को किसी भी सूरत मे जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है।

विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य आज से करीब 25 वर्ष पूर्व बाहमी बटवारा हो रहा है। सामलात मे काबिज काश्त नही है। इसलिये सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक अप्रार्थीगण है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं0 1 विधि सम्मत तरीके से ही आराजी खसरा नं0 1471 मे अपने नाम से कृषि कनैक्शन विधुत विभाग द्वारा ले रहा हूँ। जिसके लिये अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी, व अप्रार्थी सं0 2,3 व 4 से लिखि तमे सहमति पत्र लिया हुआ है। परन्तु अब प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं0 1 को आराजी खसरा नं0 1471 मे कृषि कनैक्शन नही लेने देना चाहता है। इसी उद्देश्य से प्रार्थी ने यह वाद पत्र, प्रार्थना पत्र न्यायालय मे दायर कर न्यायालय से वास्तविक स्थिति को छुपाते हुये व न्यायालय को गुमराह कर एकपक्षीय स्थगन आदेश लिया है। इसलिये प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को किसी भी सूरत मे जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का कतई अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थी/वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस है कि विवादित आराजी मौके व रिकार्ड मे अविभाजित है। कोई आपसी बटवारा नही हुआ है। अप्रार्थीगण अविभाजित आराजी मे विधुत सम्बन्ध लेना चाहते है। विवादित आराजी मे प्रार्थी/वादी का 1/4 हिस्सा है। इसलिए अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण विधुत सम्बन्ध लेने के अधिकारी नही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/वादी के पक्ष मे है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावे।

अप्रार्थी/वादीगण के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ पर कोई बहस नही की है। प्रार्थी ने वाद मे वास्तविक तथ्य छुपाये गये है। गलत तथ्य प्रस्तुत कर वाद पेश किया है एवं खसरा नं0 1471 पर एकपक्षीय आदेश प्राप्त किया गया है। मौके पर विवादित आराजी का आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ है। विवादित आराजी मे अप्रार्थीगण का नलकूप है, मकान बने हुये है। अप्रार्थीगण ने दावे से पूर्व विधुत सम्बन्ध हेतु आवेदन किया गया था। डिमाण्ड नोटिस की राशि विधुत विभाग मे जमा करा दी गई है। खेत मे विधुत पोल व तार लगा दिये गये है। अप्रार्थीगण जब ट्रासंफार्मर प्राप्त करने हेतु विधुत विभाग मे गया तो एकपक्षीय स्थगन आदेश का ज्ञान हुआ। प्रार्थी द्वारा कुल 16 खेतो के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है परन्तु स्थगन आदेश मात्र एक खसरा नं0 1471 पर लिया गया है। जिससे जाहिर होता है कि वाद प्रस्तुत करने का एक मात्र उद्देश्य अप्रार्थीगण को विद्युत सम्बन्ध लेने से रोकना है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। पारिवारिक विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज है। अप्रार्थीगण का जीवन खेती पर ही निर्भर है। उन्नत खेती करने हेतु विधुत सम्बन्ध लेना आवश्यक है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के काश्त कारी मे रूकावट पैदा करना चाहता है। अप्रार्थीगण द्वारा सन् 2008 मे विधुत सम्बन्ध हेतु आवेदन किया गया था और अब विधुत सम्बन्ध प्राप्त हो रहा है। मुकदमे बाजी चलते रहने से अप्रार्थीगण का विधुत सम्बन्ध लेप्स हो जाऐगा जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी के पक्ष मे कोई प्रथम

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने आर.बी.जे. (4) पृष्ठ 111 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे तीन बिन्दु महत्व पूर्ण है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन

जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी के सयुक्त खातेदार है। प्रार्थी द्वारा सयुक्त खातेदारी की कुल किता 16 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की ओर से बहस सिर्फ इस बिन्दु पर की गई है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी का विधिवत विभाजन कराये बिना विधुत सम्बन्ध लेने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत विधुत सम्बन्ध के आवेदन की फोटो प्रति से प्रकट है कि भरतसिंह पुत्र धनीराम का खसरा नं0 1471 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा मे 1/8 हिस्सा है। जिसमे उनका कुआ है जहा बिजली पम्प सैट लगाया जाना पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। उपरोक्त तथ्यो से प्रार्थी के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति

प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण के विधुत सम्बन्ध लेने से प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना प्रतीत नही होता है लेकिन अप्रार्थी को विधुत सम्बन्ध प्राप्त नही होने से क्षति होना स्वभाविक है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है।

आदेश

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज.काश्तकारी अधिनिमय, आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता बाबत खसरा नं0 184/0–04, 218/1–11, 330/1–07, 401/–14, 507/0–08, 655/1–04, 771/0–08, 1013/0–08 1149/0–10, 1268/0–09, 1310/0–07, 1442/0–16, 1471/1–05, 1590/0–17, 1706/0–11, 95/0–17 बीघा कुल किता 16 कुल रकबा 11–17 बीघा वाके ग्राम झाडका तहसील कोटकासिम खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2012 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner